रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, सोमवार अगस्त, 7, 1995/श्रावण 16, 1917
No. 142] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 1995/SRAVANA 16, 1917

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1995

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल के थियोफाइलिन तथा कैफीन के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच—अन्तिम निष्कर्ष ।

सं. ए डी डी/24/94–95 भारत सरकार.—वर्ष 1982 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (डम्प की गई वस्तुओं पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क की पहचान, मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1985 को ध्यान में रखते हुए ।

अनन्तिम उपाय

6. नियमों के अन्तर्गत यथापरिभाषित नामोद्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा) ने चीन जनवादी गणराज्य मूल के थियोफाइलिन तथा कैफफीन के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच के प्रारम्भिक निष्कर्ष दिनांक 31 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं. ए डी डी/24/94–95 के तहत अधिसूचित कर दिए हैं ।

क्रियाविधि

2. प्राधिकारी ने जांच के अधीन सभी आयातकों को अलग-अलग एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे प्रारम्भिक निष्कर्षों पर अपने विचार प्रेषित करें तथा मौखिक रूप से सुने जाने के लिए आवेदन करें तथा प्रस्तुत आंकड़ों के स्थल-सत्यापन में सहयोग करें । संबंधित निर्यातक देश के नई दिल्ली स्थित दूतावास को प्रारम्भिक निष्कर्षों की प्रति सहित एक मौखिक नोट भी भेजा गया जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि निर्यातकों तथा अन्य इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाए कि वे प्रारंभिक निष्कर्षों पर प्राधिकारी को अपने विचार प्रेषित करें तथा आंकड़ों के सत्यापन में सहयोग करें ।

3. निर्यातकों, आयातकों तथा याचिकाकर्ता को 25 मई, 1995 को होने वाली सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया था । चीन जनवादी गणराज्य के दिल्ली स्थित दूतावास की एक मौखिक नोट भी भेजा गया जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे संबंधित निर्यातकों को

सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए सूचित करें। तथापि इस सार्वजनिक सुनवाई में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग तथा मैसर्स जर्मन रैमिडीज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रारंभिक निष्कर्षों से संबंधित दिनांक 31 जनवरी, 1995 की अधिसूचना के पैरा (IV) में जिन सात निर्यातकों के नाम दिए गए थे उनमें से किसी भी निर्यातक ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दिया और न ही 2 दिसम्बर, 1994 तथा 25 मई, 1995 को हुई दो मौखिक सुनवाईयों में भाग लिया और न ही चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास के माध्यम से अलग-अलग सूचित किए जाने के बावजूद किसी ने भी अपनी टिप्पणी भेजी।

4. प्राधिकारी ने आवश्यक सूचना की मांग की और उसकी जांच की और इसके बाद याचिकाकर्ता कंपनियों की परिसरों पर जांच शुरू की गई। इस जांच में 1 जनवरी, 1994 से 30 जून, 1994 की अवधि शामिल थी।

प्रतिवादी के विचार

5. मैसर्स जर्मन रैमिडीज को छोड़कर 31-1-1995 की अधिसूचना में सूचीबद्ध आयातकों में से किसी ने भी 2-12-1994 तथा 25-5-1995 को हुई दोनों सुनवाईयों में भाग नहीं लिया। जैसा कि 31-1-1995 को अधिसूचित किया गया था। प्रारम्भिक निष्कर्षों के बाद आयातकों द्वारा प्राधिकारी को कोई अतिरिक्त सूचना अथवा तथ्य केवल एक आयातक / व्यापारी मैसर्स दिलीप कुमार एंड कं. को छोड़कर किसी ने भी नहीं दिया। इस कंपनी ने निम्नलिखित सूचना दी :

(i) कि अनेक निर्यात निगम हैं जो चीन में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और निर्यात कीमत पर एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं अतः डंपिंग कीमत के किसी भी एक निर्णय के अभाव में उनकी मंशा को भारतीय उद्योग की वास्तविक क्षति नहीं माना जा सकता।

(ii) कि समुद्र द्वारा बम्बई पर वर्तमान सी आई एफ कीमतें पहुंचे ही 8/8.50 अमरीकी डालर प्रति किग्रा. है इसलिए पाटनरोधी शुल्कों पर विचार करके कोई मकसद सिद्ध नहीं होगा।

याचिकाकर्ताओं के विचार

6. याचिकाकर्ता कंपनी मैसर्स बकुल एरोमेटिक्स एंड कैमीकल्स लि. बम्बई ने प्रारंभिक निष्कर्षों के उत्तर में संकेत दिया कि वे आयातक नहीं है और प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में 31-1-95 की अधिसूचना के पैरा "ग" (IV) के क्रम सं. 3 पर आयातकों के रूप में उनका नाम गलती से आया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने आयातक और घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए मुद्दों की जांच की और पाया कि :

(i) नियम सुपरा के तहत डंपिंग तब मानी जाती है यदि निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से कम हो। निर्यातकों को प्रत्यक्ष रूप से और चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास के माध्यम से पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु किसी भी निर्यातक ने अवसर का लाभ नहीं उठाया और न ही डंपिंग के आरोप का खंडन किया। किसी ने भी प्रश्नावली के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना नहीं भेजी और न ही दोनों सार्वजनिक सुनवाईयों में भाग लिया अथवा कोई तथ्य प्रस्तुत किया जिससे पाटनरोधी मामले पर प्रभाव पड़ता। अतः प्राधिकारी को तथ्यों तथा सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर ही निर्भर होना पड़ा।

(ii) जैसा कि 31-1-1995 को अधिसूचित प्रारंभिक निष्कर्षों में बताया गया है, निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता द्वारा रखे जाने वाले तथा सीमाशुल्क क्लीयरेंस के प्रयोजन के लिए आयातकों द्वारा उल्लिखित भारित कीमत के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित की गई निर्यात कीमत विश्वसनीय पाई गई है तथा आयातक द्वारा जांच पड़ताल की अवधि के बाद प्रस्तुत की गई अलग अप्रमाणिक निर्यात कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता।

(iii) प्राधिकारी ने 31-1-1995 को अधिसूचित प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा ग (vi) के क्रम सं. 3 की दी गई आयातक सूची में एक याचिकाकर्ता का नाम आने से संबंधित मुद्दों की जांच की और पाया कि उनका नाम आयातक की सूची में गलती से आ गया है अतः इस अधिसूचना को जारी करके आयातकों की सूची से उनका नाम हटाया जाता है।

8. प्राधिकारी ने नोट किया कि प्रारंभिक निष्कर्ष के बाद किसी भी इच्छुक पार्टी अर्थात् आयातक/उपयोक्ता, निर्यातक अथवा याचिकाकर्ता द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः भारतीय उद्योग के हित पर विचार करते हुए तथा डंपिंग, क्षति तथा इसके कार्य कारण संबंधों से संबंधित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए 31-1-1995 को अधिसूचित प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित निष्कर्षों की पुष्टि होती है और जिससे निष्कर्ष निकला कि :

(i) चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातकों ने सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में थियोफाइलिन तथा कैफीन बेची थी;

(ii) भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) और कि आयातों से भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

9. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत का निर्धारण करने, सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना तथा 31-1-95 को अधिसूचित प्रारंभिक निष्कर्षों में उनसे उत्पन्न मूल्यों के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति की पुष्टि की गई है।

प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या चीन के आयातकों की औसत उतराई कीमत के साथ थियोफाइलिन

तथा कैफीन की अच्छी बिक्री कीमत से तुलना करके डंपिंग मार्जिन से कम शुल्क क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है और प्राधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि चीन जनवादी गणराज्य से प्रत्यक्ष आयातों पर अथवा अन्य देश/निर्यातक के माध्यम से चीन मूल की निम्नलिखित सामग्री के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।

(i) सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 24 के अंतर्गत थियोफाईलिन–108 रु. (एक सौ आठ रु.) प्रति कि. ग्रा. की दर से,

(ii) सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 29 के अंतर्गत कैफीन–101 रु. (एक सौ एक रुपये) प्रारंभिक निष्कर्ष।

डॉ. वाई. वी. रेड्डी, नामोद्दिष्ट प्राधिकारी तथा अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 1995

Subject.—Anti-dumping investigation concerning imports of Theophylline and Caffeine from People's Republic of China—Final findings.

No. ADD|24|94-95.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1982 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or additional duty on dumped articles and for determination of Injury) Rules, 1985, thereof.

PROVISIONAL MEASURES

1. The Designated Authority as defined under the Rules (hereinafter referred to as Authority) notified preliminary findings in the anti-dumping investigation concerning imports of Theophylline and Caffeine originating from People's Republic of China vide Notification No. ADD|24|94-95 dated the 31st January, 1995.

PROCEDURE

2. The Authority addressed a letter to all the individual importers subject to investigation requesting them to furnish their views on the preliminary findings and to apply to be heard orally and willingness for on site verification of data furnished. A note verbale was also sent on to Embassy of the concerned exporting country in New Delhi forwarding a copy of the preliminary findings with the request that the exporters and the other interested parties may be advised to furnish views on the preliminary findings to the Authority and willingness for verification of data.

3. An opportunity was also given to exporters, importers and petitioner to express their views in a public hearing held on 25th May, 1995. A note verbal was also sent to Delhi office of the Embassy of People's Republic of China requesting them to intimate the exporters concerned to participate in the public hearing. The public hearing was, however, attended by the representatives of the petitioner domestic industry and M|s. German Remedies. None of the seven exporters as named in para (iv) of Notification dated 31-1-95 relating to preliminary findings have either responsed to the questionnaire or attended the two oral hearings conducted on 2nd December, 1994 and 25th May, 1995 or submitted any comments in spite of being informed individually and through Embassy of People's Republic of China.

4. The Authority sought and verified information deemed necessary and to this end an investigation was carried out at the premises of the petitioner companies. The investigation covered the period 1st January, 1994 to 30th June, 1994.

RESPONDENT'S VIEWS

5. Except for M|s. German Remedies, none of the importers listed in the Notification of 31-1-95 attended the two hearings held on 2-12-94 and 25-5-95. No additional information or facts were submitted by the importers to the Authority after the preliminary findings as notified on 31-1-95 and informed to them individually except that one of the importer|trader M|s. Dilip Kumar & Co. submitted mainly the following :

(i) that there are several export corporations operating independently from China and compete each other on export price and, therefore, in the absence of any single decision of dumping price, their intention cannot be considered as a material injury to Indian industry;

(ii) that the present prices are already over US $ 8|8.50 per kg. cif Bombay by sea and, therefore, no purpose would be served by considering Anti-Dumping duties.

PETITIONER'S VIEW

6. One of the petitioner company viz. M|s. Bakul Aromatics & Chemical Ltd., Bombay, in response to preliminary findings pointed out that they are not importers and their name wrongly appeared as importers at S. No. 3 of para C(vi) of Notification dated 31-1-95 relating to preliminary findings.

EXAMINATION BY AUTHORITY

7. The Authority has examined the points made by the importer and domestic producers and found that :

(i) Under the rules supra, dumping is established in case export price is less than the normal value. Exporters directly and through the Embassy of People's Republic of China were given ample opportunity but none of the exporters availed the opportunity nor reputed the charge of dumping. None of them sent the information desired by the Authority through questionnaire or

attended the two public hearings or presented any fact having impact on anti-dumping case. The Authority, therefore, has to go by the facts and on the basis of best available information.

(ii) The export price, as indicated in the preliminary findings notified on 31-1-95 has been determined on the basis of the weighted average price as reported by the importers for the purpose of custom clearances maintained by DGCI&S, Calcutta. The export price so determined is found to be reliable and isolated unsubstantiated export price after the investigation period submitted by the importer cannot be considered.

(iii) The Authority examined the point relating to the appearance of one of the petitioner name in the importers list at S. No. 3 of para C(vi) of preliminary findings notified on 31-1-95 and found that their name has been inadvertantly included in the importers list. Their name, therefore, is deleted from the importers list by way of issue of this Notification.

8. The Authority noted that no new substantial fact has been brought out by any of the interested parties viz. importers/users, exporters or petitioner after the preliminary findings and, therefore, after considering the interest of Indian industry and taking into account the various factors relating to dumping, injury and its casual link confirms the findings as brought out in the preliminary findings notified on 31-1-95 and conclude that :

(i) exporters from People's Republic of China have sold Theophylline and Caffeine in India below normal value;

(ii) the Indian industry has suffered material injury;

(iii) and that the imports caused material injury to Indian industry.

9. The Authority confirms the methodology adopted for determination of Normal Value, Export Price, the comparison of normal value and export price and values arrived thereof in the preliminary findings notified on 31-1-95.

10. The Authority considered whether a duty lower than the dumping margin would be enough to remove the injury by comparing the average landed price of Chinese imports with fair selling price of Theophylline (DPCO) and Caffeine as brought out in preliminary findings and confirms that Anti-Dumping Duty be imposed on imports directly from People's Republic of China or imports of Chinese origin material through any other country/exporter on :

(i) Theophylline under Chapter 29 of Customs Tariff at the rate of Rs. 108 (Rupees one hundred and eight) per kg;

(ii) Caffeine under Chapter 29 of Customs Tariff at the rate of Rs. 101 (Rupees one hundred one) preliminary findings.

DR. Y. V. REDDY, Designated Authority & Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995